ायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा केम्प कोर्ट–पचपदरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. :– 166/2017

वादीगण:

1. तारांराम पुत्र छोगाराम जाति भील निवासी हिमताणीयो भाम्भुओंकी ढाणी भाण्ड़ियावास

विप्रार्थीगण

1. मृतक राणाराम पुत्र छोगाराम के कायम मुकाम
1/1 अन्तरो बेवा राणाराम जाति भील
1/2 माताराम पुत्र राणाराम जाति भील
1/3 भटाराम पुत्र राणाराम जाति भील
प्रतिवादी सं. 1/2 व 1/3 नाबालिग जरीये कुदरती वली माता अन्तरो देवी
2. मृतक जैसाराम पुत्र छोगाराम के कायम मुकाम
2/1 गीतादेवी बेवा जैसाराम जाति भील
2/2 पूजा पुत्री जैसाराम जाति भील
2/3 नरेन्द्र पुत्र जैसाराम जाति भील
2/4 बाबूराम पुत्र जैसाराम जाति भील
प्रतिवादी सं. 2/2 ता 2/4 नाबालिग जरीये कुदरती वलिया माता गीतादेवी बेवा जैसाराम भील निवासीयान कुड़ी तह. पचपदरा
3. मृतक सारकी पुत्री छोगाराम के का.मु.
3/1 पारस पुत्र मटाराम (पति) जाति भील
3/2 गोतम पुत्र पारस वर्ष जाति भील
3/3 कोकाराम पुत्र पारस जाति भील
निवासियान– पुलिस थाना के पीछे, पचपदरा
4. अगरो बेवा चुनाराम जाति भील
5. छगनलाल पुत्र चुनाराम जाति भील
6. शंकरलाल पुत्र चुनाराम जाति भील
7. मांगाराम पुत्र चुनाराम जाति भील
8. रामाराम पुत्र चुनाराम जाति भील
9. बगदाराम पुत्र चुनाराम जाति भील
10. लालाराम पुत्र चुनाराम जाति भील
11. दाखुदेवी बेवा उदीया उर्फ उदा जाति भील
12. ईशराराम पुत्र उदीया उर्फ उदा जाति भील
13. हेमाराम पुत्र उदीया उर्फ उदा जाति भील
14. भूराराम पुत्र उदीया उर्फ उदा जाति भील
15. सुगाराम पुत्र उदीया उर्फ उदा जाति भील
16. भोलाराम पुत्र उदीया उर्फ उदा जाति भील
निवासीयान कुड़ी तह. पचपदरा
17. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>वाद हेतु अधिकार घोषणा, निरस्त करने म्युटेशन सं. 192, 587, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 21.05.2018

उपस्थिति :–

1. वादी स्वंय एवं अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही

वादीगण की ओर से उक्त वाद पत्र हेतु अधिकार घोषणा, निरस्त करने म्युटेशन सं. 192, 87, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश पेश कर निवेदन किया कि राजस्व गॉव कुड़ी में खेत खसरा . 83 रकबा 20 बीघा 07 विस्वा, खसरा सं. 86 रकबा 22 बीघा 03 विस्वा, खसरा सं. 119 रकबा 18 बीघा 7 विस्वा तथा राजस्व गांव भाण्ड़ियावास वर्तमान हिमताणियो भांभुओ की ढाणी में खेत खसरा सं. 424

..2...

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

44 बीघा 03 विस्वा, खसरा सं. 425 रकबा 26 बीघा 16 विस्वा, खसरा सं. 426 रकबा 02 बीघा 11 खसरा सं. 428 रकबा 26 बीघा 04 विस्वा, कुल रकबा 99 बीघा 14 विस्वा अवस्थित है, उक्त कृषि ी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी स. 2 के हकपुर्वाधिकारी छोगाराम का 1/3 हिस्सा कब्जा । खातेदारी का दर्ज रहा है। प्रतिवादी सं. 4 ता 16 सहखातेदार होने से प्रकरण में मात्र प्रर्फोमा पक्षकार ा गया है, प्रतिवादी सं. 4 ता 16 के विरूद्ध वादी कोई प्रभावी अनुतोष प्राप्त करना नही चाहता है। ताराराम तथा प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/3 के पिता राणाराम, प्रतिवादी सं. 2/1 व 2/4 के पिता राम व प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/3 की माता सारकी आपस में भाई–बहिन रहे है, वाद पत्र में मृतक राम के विधिक उतराधिकारी वारिसान् का सजरा परिवार प्रस्तुत किया। उक्त कृषि भूमियाँ वादी के । छोगाराम के सयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कृषि भूमि रही है। मृतक छोगाराम की तीनो पुत्रीयो की, जैसलकी, व बक्षुड़ी को हैसियत अनुसार वक्त शादी स्त्रीधन दिया तथा उनकी शादी की, हांलाकि दु उतराधिकारी अधि. में प्रावधित प्रावधानो अनुसार अनुसुचित जनजाति में पुत्रियो का कोई हक हिस्सा क सम्पति में नही होता है, फिर भी सहवन से फौतगी म्युटेशन के माध्यम से गलत प्रविष्टिया दर्ज कर ता–वाद वादी की तीनो वहिनो ने उपरोक्त कृषि भूमियो में से अपना हक वादी तथा प्रतिवादी सं. 1/1 1/3 व 2/1 ता 2/4 के हक पक्ष में तर्क कर दिया, जिससे मृतक छोगाराम की संयुक्त हिन्दु परिवार कृषि भूमियो में उनका कोई हक, हिस्सा नही रहा, लेकिन म्युटेशन सं. 192, व 587 की गलत प्रविष्टयो सारकी का नाम रेकर्ड़ में रह गया जिससे एतहात के तौर पर सारकी जीवित नही होने से उसके कायम कामात को पक्षकार प्रतिवादी सं. 3/1 ता 3/3 बनाया गया है, जबकि सारकी या उनके वारिसान का ई कब्जा उक्त भूमियो पर कभी भी नही रहा और न है। वादी एवं प्रतिवादी सं 1/1 ता 2/4 जन्म से हिन्दु है, हिन्दू धर्म की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। उपरोक्त कृषि भूमियाँ वादी एवं प्रतिवादी सं. /1 व 1/4 एवं 2/1 ता 2/4 के हकपुर्वाधिकारी छोगाराम के सहसयुक्त कब्जा कास्त की रही व है, के पर कब्जा सयुक्त रूप से वादी के साथ प्रतिवादी सं. 1/1 ता 2/4 का रहा, जो आज भी मौके पर ना किसी दखल हस्तक्षेप मौजुद है, तथा हर वर्ष वर्षात के समय वादी एवं प्रतिवादी सं. 1/1 ता 2/4 के रा अपने अपने हिस्से पर कास्त कर बुवाई की जाती रही है। वादी के पिता स्वं. छोगाराम की मृत्यु सन् 990 में निर्वसियति ही हुई, छोगाराम की मृत्यु के पश्चात छोगाराम के पुत्रो के नाम फौतगी म्युटेशन की ार्यवाही की गई, किन्तु मृतक छोगाराम के अन्य वारिसान पुत्र पुत्रियाँ के नाम तो फौतगी म्युटेशन तो भर या गया, किन्तु लिपिकीय त्रुटि या सहवंश से मृतक छोगाराम के बड़े पुत्र वादी ताराराम का नाम रेकर्ड़ में मिल दरामद होने से रह गया, जबकि मौके पर सम्पुर्ण कृषि भूमियो के हिस्से पर कब्जा आज भी वादी का वेना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा व है। राजस्व अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से विधि पूर्ण लाईन ाफ सक्सेशन की अनदेखी कर, बिगाड़ कर वादग्रस्त कृषि भूमि स्व. छोगाराम के शेष दोनो पुत्र राणाराम, जैसाराम एंव पुत्रीयो के अकेले के नाम दर्ज कर दी और वादी जो स्व. छोगाराम के परिवार का सबसे बड़ा पुत्र प्रथम श्रेणी का वारिस रहा व है, का नाम बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व अभिलेख से अनाधिकृत हटा दिया, जिसका कोई अधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व अधिकारियो को नहीं था। वादी स्व. छोगाराम का सबसे बड़ा पुत्र होने से अपने जन्म से ही स्व. छोगाराम के शेष दोनो पुत्रान के साथ वादग्रस्त कृषि भूमि में छोगाराम के 1/3 हिस्से में से 1/3 हिस्सा यानि बहिस्सा 1/9 का स्वतः ही काबिज सहभागी खातेदार टीनेन्ट हो गया। क्षेत्राधिकार विहीन प्रविष्टियों से वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि 1/9 हिस्से के नीहीत अधिकार कभी भी दृष्प्रभावित नहीं हुए और न विधि के अन्तर्गत हो ही सकते हैं और न कभी भी विनिहीत ही हुए, और विधि की भी यह मंशा रही है कि प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र का नाम छोड़कर कोई फौतगी म्युटेशन भरा जाता है, तो ऐसे म्युटेशन की प्रविष्टिया प्रारम्भ से ही शुन्य प्रभाव की होती है, फिस्कल प्रवृति के म्युटेशन की प्रविष्टियाँ मात्र से प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस के जन्म से नीहित विधिक हक, हित, अधिकारो को समाप्त नही किया जा सकता है। वादी तथा प्रतिवादी सं. 01 व 02 के वारिसान के मध्य एक पीढी का अन्तराल आ जाने एवं असामाजिक तत्वो के गलत सिखावे में आ जाने से उनकी नियत में खोट व्याप्त हो जाने से आज या कल भूमिधारक के पास चल कर अभिलेख सुधार करवाने का आश्वासन देते रहे, बाद में अभिलेख सुधार कराने से इन्कार होकर, मुकर गये । जिस पर नियमित वाद पत्र वाद पत्र प्रस्तुत किया गया हैं ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर बाद कार्यालय रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी कर तलब किया, किन्तु बावजुद तामिल प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ, जिससे दिनांक 22.02.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...

...3...

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वादपत्र को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी पी.डब्ल्यु–1 ताराराम, पी. –2 छगनलाल, पी.डब्ल्यु–3 भूराराम, ने साक्ष्य शपथपत्र पेश कर न्यायालय में अपने बयान कलमबद्ध ये, और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमांबन्दी, प्रदर्श–2 व 3 नक्शा, प्रदर्श– 4 जमाबंदी, प्रदर्श –5, 6 ाम, प्रदर्श 07 व 08 जंमाबन्दी सम्वत् 2043–48 व 2046–49 प्रस्तुत किये, और माफिक इस्तदुआ वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने साक्ष्य समाप्त होने पर वादी के अधिवक्ता की बहस अंतिम सुनी, केम्प कोर्ट कुड़ी में तथा केम्प कोर्ट पचपदरा में मजमे आम में चर्चा की ।

दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यो को दौहराया और निवेदन किया कि उपरोक्त । भूमियो में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी स. 2 के पिता छोगाराम का 1/3 हिस्सा कब्जा कास्त तेदारी का दर्ज रहा है, उक्त तथ्य सलंग्न प्रस्तुत प्रदर्शो से स्पष्ट साबित हैं, कि वादी के पिता स्वं. गाराम की मृत्यु निर्वसियति ही हुई, छोगाराम की मृत्यु के पश्चात छोगाराम के पुत्रो के नाम फौतगी टेशन की कार्यवाही की गई, किन्तु मृतक छोगाराम के अन्य वारिसान पुत्र पुत्रियॉं के नाम तो फौतगी टेशन तो भर दिया गया, किन्तु लिपीकिय त्रुटि या सहवंश से मृतक छोगाराम के बड़े पुत्र वादी ताराराम । नाम रेकर्ड में अमल दरामद होने से रह गया, जबकि मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का अपने ही । भूमि पर कब्जा काश्त आज भी बिना किसी दखल हस्तक्षेप के कायम रहा व है। वादी की मौखिक साक्ष्य । एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नही मानने का कोई कारण विद्यमान नही है। इसलिये वादी का वाद पत्र ीकार किया जावे, तथा वादग्रस्त कृषि भूमियो में वादी को छोगाराम के 1/3 हिस्से में से 1/4 हिस्से की ोषणा किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य का अवलोकन व अध्ययन किया। ाद गौर हम इस नतीजे पर पहुचे है, कि वादी ने अपना वादपत्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुर्ण रूप । साबित किया है, जिससे वादी को वादग्रस्त उपरोक्त कृषि भूमियां में वादी के हकपुर्वाधिकारी पिता ोगाराम के 1/3 हिस्से में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित करना न्यायसंगत प्रतीत ोता है, वादी के वाद पत्र को उपरोक्त समग्र विवेचन अनुसार स्वीकार करना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर इस आशय की डिक्री पारित की जाती हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि ाजस्व गांव कुड़ी के खेत खसरा सं. 83 रकबा 20 बीघा 07 विस्वा, खसरा सं. 86 रकबा 22 बीघा 03 वेस्वा, खसरा सं. 119 रकबा 18 बीघा 07 विस्वा कुल रकबा 60 बीघा 17 विस्वा एवं राजस्व गांव ाण्ड़ियावास वर्तमान नवसृजित गांव हिमताणियो भांभुओ की ढाणी में खेत खसरा सं. 424 रकबा 44 बीघा 03 विस्वा, खसरा सं. 425 रकबा 26 बीघा 16 विस्वा, खसरा सं. 426 रकबा 02 बीघा 11 विस्वा, खसरा सं. 428 रकबा 26 बीघा 04 विस्वा, कुल रकबा 99 बीघा 14 विस्वा उपरोक्त दोनो गावो की भूमियो में वादी को छोगाराम के 1/3 हिस्से में से प्रत्येक उक्त खसरे में वादी ताराराम को 1/4 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान् खर्चा अपना अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज मजमें आम केम्प कोर्ट पचपदरा में तारीख 21.05.2018 को सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम) R.A.S.)
(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-201
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
बालोतरा कैम्प... पचपदरा